भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1104
उत्तर देने की तारीख-02/12/2024

आरटीई अधिनियम का कार्यान्वयन

†1104. डॉ. शिवाजी बंडाप्पा कालगे:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र ऐसे हैं जिन्होंने अधिनियम पारित होने के 15 वर्ष बाद भी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम लागू नहीं किया है;
(ख) यदि हां, तो उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने आरटीई अधिनियम को लागू नहीं किया है तथा कार्यान्वयन न करने के क्या कारण हैं;
(ग) क्या सरकार आरटीई अधिनियम के तत्काल कार्यान्वयन के लिए राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के साथ संपर्क कर रही है; और
(घ) वर्ष 2022-23 और 2023-24 में राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में आरटीई अधिनियम के कार्यान्वयन को प्रोत्साहित/सुविधाजनक बनाने के लिए शुरू किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (ग) निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 समस्त भारत में विस्तारित है और उपयुक्त सरकार को 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को पड़ोस के स्कूल में निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने का अधिकार देता है।

शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है और अधिकांश स्कूल संबंधित राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकार के क्षेत्राधिकार में हैं, जो आरटीई अधिनियम, 2009 के तहत उपयुक्त सरकार है। शिक्षा मंत्रालय सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनके संबंधित क्षेत्राधिकार में आरटीई अधिनियम,

2009 के सभी प्रावधानों के कार्यान्वयन की सुनिश्चितता हेतु समय-समय पर विभिन्न परामर्श/दिशानिर्देश जारी करता है।

(घ) वर्ष 2018-19 में शुरू की गई समग्र शिक्षा योजना को अब एनईपी 2020 की सिफारिशों के अनुरूप बनाया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना और छात्रों के अधिगम परिणामों का संवर्धन, स्कूली शिक्षा में सामाजिक और जेंडर अंतराल को कम करना, स्कूल शिक्षा प्रावधान में न्यूनतम मानक सुनिश्चित करना, आरटीई अधिनियम, 2009 के कार्यान्वयन में राज्यों को सहायता प्रदान करना और समस्त देश में शिक्षक शिक्षा संस्थानों का सुदृढीकरण है। यह योजना विभिन्न पहलों जैसे; शिक्षकों और स्कूल प्रमुखों का सेवाकालीन प्रशिक्षण, राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर उपलब्धि सर्वेक्षणों का संचालन, अनुकूल अधिगम वातावरण प्रदान करने के लिए प्रत्येक स्कूल को समग्र स्कूल अनुदान, पुस्तकालय अनुदान, पात्रता के अनुसार पाठ्यपुस्तकों और स्कूल वर्दी का प्रावधान आदि हेतु सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान करने पर केंद्रित है। इसके अतिरिक्त, समग्र शिक्षा के अंतर्गत राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को अन्य बातों के साथ-साथ मौजूदा सरकारी प्रारंभिक और माध्यमिक विद्यालयों को सुदृढ़ करने तथा संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार अवसरंचनात्मक सुविधाओं के सृजन और संवर्द्धन हेतु सहायता प्रदान की जाती है।

*****